

D.No. - 286
9-06-21

सेवा में,
श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
पहाड़ी जिला भरतपुर राज0
01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाड़ी जिला भरतपुर
तहसीलदार पहाड़ी ने पेश किया
लय रिपोर्ट के साथ

बनाम

6/21 आसमोहमा, गहबूरा, समेडीन, सुबुडी, हकीम पि० रहमत शेव खिवासी
कुंवाडा तह. पहाड़ी

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


महोदय,

वाद पत्र निम्न प्रकार से निवेदन है कि :-

1. यह है कि आराजी खं0 नं0 ^{1572/1577/1578} _{0.08} रकबा ^{0.24} है0 किस्म चाही उत्तम
राजस्व ग्राम कुंवाडा तह. पहाड़ी तहसील पहाड़ी में स्थित है।
2. यह है कि बिन्दू संख्या 1 में वर्णित भूमि कृषि प्रयोजनार्थ है।
3. यह है कि बिन्दू संख्या 1 में वर्णित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी संवत् 2075-2078) में प्रतिवादी संख्या के नाम से दर्ज है।
4. यह है कि पटवारी हल्का कुंवाडा तह. पहाड़ी द्वारा दिनांक को इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उक्त वर्णित खं0 नं0 ^{1572/1577/1578} _{0.08} रकबा ^{0.24} है0 में से ^{0.24} है0 भूमि पर आसमोहमा, गहबूरा, समेडीन, सुबुडी, हकीम पि० रहमत शेव खिवासी प्रयोजनार्थ उक्त भूमि को अकृषि के उपयोग में ली जा रही है जिस हेतु प्रतिवादी ने कृषि भूमि को संपरिवर्तन का कोई सक्षम आदेश प्राप्त नहीं कर रखा है तथा मौके पर यह कृषि भूमि अब पुनः कृषि करने योग्य नहीं है। पटवारी रिपोर्ट एवं नकल नक्शा संलग्न है।
5. यह है कि राज्य सरकार की ओर से खातेदारान को कृषि भूमि में कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया गया है।
6. यह है कि प्रतिवादी द्वारा उक्त कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है।
7. यह है कि इस प्रकार से राज्य सरकार की ओर से दिये गये अधिकारों के विपरीत प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किया है तथा भविष्य में यह भूमि पुनः कृषि योग्य नहीं रह पायेगी।

तहसीलदार
तहसील, पहाड़ी भरतपुर

8. यह है कि प्रतिवादी के इस कृत्य की देखा रेखी में अन्य लोगों द्वारा भी इसी प्रकार कृषि भूमि का स्वरूप खराब किया जा सकता है जिससे भविष्य में कृषि संबंधी उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। जो भविष्य में क्षेत्र के विकास में बाधक होगी।
9. यह है कि वाद पत्र में सुनवाई का अधिकार श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।
10. यह है कि प्रार्थना पत्र राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत होने से सभी प्रकार के शुल्क आदि से मुक्त है।
11. अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी ख0 नं0 1572, 1578, 1577 कबा ... 0.24 ... है।
वाके ग्राम ~~पहाडी~~ तहसील पहाडी में से ~~0.07~~ ~~0.09~~ ~~0.08~~ है। भूमि पर बिना किश्म संपरिवर्तन आदेश के अवैध ~~निर्माण~~ निर्माण किया हुआ है।
इसलिए उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित किया जावे।
- संलग्न:- जमाबन्दी नक्शा एवं मौका रिपोर्ट पटवारी।


तहसीलदार(भूमिधारी)पहाडी
जिल्लासस्तपुर
तहसील,पहाडी भरतपुर

स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 105

खाता संख्या पुराना :- 68



- जाति- मेव सा. कैथवाडा खातेदार
1614 बिना रहन) आईडीबीआई बैंक
- जाति- मेव सा. कैथवाडा खातेदार
1572, 1614 बिना रहन) आईडीबीआई बैंक
- जाति- मेव सा. कैथवाडा खातेदार
1/5 (खसरा सं- 1572, 1614 बिना रहन) आईडीबीआई बैंक
- जाति- मेव सा. कैथवाडा खातेदार
1/5 (खसरा सं- 1572, 1614 बिना रहन) आईडीबीआई बैंक
- जाति- मेव सा. कैथवाडा खातेदार
1/5 (खसरा सं- 1572, 1614 बिना रहन) आईडीबीआई बैंक

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संयत लगान	मिचबाई के
1559	0.2100	साही रहन	0.2100 2.94	1573
1560	0.3100	साही रहन	0.3100 4.34	1574
1571	0.0100	मेव जाति	0.0100 0.14	1575
1572	0.0100	साही रहन	0.0100 0.14	1576
1577	0.0100	साही रहन	0.0100 0.14	1577
1578	0.0100	साही रहन	0.0100 0.14	1578
1614	0.0100	साही रहन	0.0100 0.14	1579

मिचबाई

राज

Ghosh

07.06.21

कृषक



जमाबन्दी (खेवडा/खतोती)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(विधिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- कैथवाडा I

अंतिम पोसला आधार सन्वत :- 2075 - 2078 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2020) में
स्थापी

पटवार हल्का :- कैथवाडा I

भूमि धारक का नाम :- राज सरकार

भू.अभि.नि. :- कैथवाडा

क्षेत्रफल की देकाई :- हेक्टेयर

तहसील :- पहाडी

घाता संख्या नया :- 105

जिला :- भरतपुर

घाता संख्या पुराना :- 68

कायनकार का नाम:-

1. आमसौहम्पद पुत्र रहमत हिस्सा- 1/5 जाति- मेव सा, कैथवाडा घातेदार
राहिन हिस्सा-1/5 (खसरा सं- 1572, 1614 बिना रहन) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा अलवर
2. महमूद पुत्र रहमत हिस्सा- 1/5 जाति- मेव सा, कैथवाडा घातेदार
राहिन हिस्सा-1/5 (खसरा सं- 1572, 1614 बिना रहन) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा अलवर
3. मुबदी पुत्र रहमत हिस्सा- 1/5 जाति- मेव सा, कैथवाडा घातेदार
राहिन हिस्सा-1/5 (खसरा सं- 1572, 1614 बिना रहन) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा अलवर
4. समैदीन पुत्र रहमत हिस्सा- 1/5 जाति- मेव सा, कैथवाडा घातेदार
5. हमीदअहमद पुत्र रहमत हिस्सा- 1/5 जाति- मेव सा, कैथवाडा घातेदार
राहिन हिस्सा-1/5 (खसरा सं- 1572, 1614 बिना रहन) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा अलवर,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लयान	सिचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में पभाषित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	दिएपणी
1559	0.2100	चाही प्रथम	0.2100	2.94	1573	
1560	0.3100	चाही प्रथम	0.3100	4.34	1573	
1571	0.0100	सै.सु.बोरिंग	0.0100	0.00		
1572	0.0700	चाही उत्तम	0.0700	1.26	1571	
1577	0.0800	चाही उत्तम	0.0800	1.44	1571	
1578	0.0900	चाही उत्तम	0.0900	1.62	1571	
1614	0.0300	चाही उत्तम	0.0300	0.54	1626	
कुल खसरे - 7	0.8000		0.8000	12.1400		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि:- 9-Jun-2021



रजिस्ट्रार
जारी

रजिस्ट्रार
जारी